ARYAVART SHODH VIKAS PATRIKA
RNI TITLED NO. UPBIL04292
RNI REG. NO. UPBIL/2014/66218
PP. No.- 114-117

ISSN NO.-2347-2944 (Print)
e-ISSN NO.-2582-2454 (Online)
Vol.-16, No.- II, Issues-28, YEAR- April-June-2023

भारतीय अर्थव्यवस्था के परिप्रेक्ष्य में काले धन का विश्लेषण

श्री शिवेन्द्र सिंह

सहायक आचार्य– अर्थशास्त्र विभाग, राजकीय महाविद्यालय उफरैंखाल, पौड़ी गढवाल (उत्तराखण्ड), भारत

Received-23.04.2023, Revised-28.04.2023, Accepted-02.05.2023 E-mail: shivendrasingh2505@gmail.com

सारांशः ***विशेष रूप से वर्ष 2000 के बाद से काला धन एवं भ्रष्टाचार के मुद्दों ने समाज, सरकार एवं लोगों का ध्यान अपनी ओर इतनी तेजी से आकर्षित किया है कि यह मुद्दा संसद से लेकर न्यायालय तक पहुंच गया। एक ओर मनुष्य की बढती हुई भौतिकवादी विचारधारा ने तो दूसरी ओर सामाजिक मूल्यों में होने वाले पतन ने देश में काले धन की समस्या को बढावा दिया है। गैर–कानूनी या अवैध तरीके से अर्जित किया गया धन काला धन कहलाता है। इसे हम वह धन भी कह सकते हैं जिस पर कर का भुगतान सरकार को नहीं किया गया हो। 1985 में काले धन को परिभाषित करते हुए राष्ट्रीय सार्वजनिक वित्त और नीति संस्थान (एनआईपीएफपी) ने बताया कि काला धन, काली आय के रूप में वह सकल आय होती है जो कि कर योग्य है लेकिन उसके बारे मे कर अधिकारियों को बताया नहीं गया है। इस समस्या की वजह से जहाँ एक ओर कर की दर एवं कर आधार विस्तृत होता जाता है तो वहीं दूसरी ओर इस समस्या की वजह से यह भी सम्भव है कि इससे आयात शुल्क में भी बढ़ोत्तरी हो सकती है। जिसके परिणामस्वरूप वस्तुओं एवं सेवाओं की कीमतें भी बढ़ सकती है और यह सम्पूर्ण प्रक्रिया अर्थव्यवस्था को प्रतिकूल रूप से प्रभावित करती है, क्योंकि यह समस्या अर्थव्यवस्था की विकास दर पर अपना बुरा प्रभाव डालती है जिसके चलते विकास दर में गिरावट होने लगती है और जिसका प्रतिकूल प्रभाव कर राजस्व पर भी पड़ता है। जब हम काले धन या प्रतिछाया अर्थव्यवस्था की बात करते हैं तो इससे एक बात यह निश्चित रूप से स्पष्ट हो जाती है कि इससे वह व्यक्ति या व्यक्तियों का समूह बिल्कुल भी प्रभावित नहीं होता है जो ऐसे धन का संचय करता है। बल्कि ऐसे धन से वह व्यक्ति या व्यक्तियों का समूह जरूर प्रभावित होता है जो कि ऐसे धन का संचय नहीं करता है।*

इसमें कोई सन्देह नहीं है कि समय–समय पर केन्द्र और राज्य सरकारें काला धन एवं भ्रष्टाचार से सम्बन्धित अवांछित मुद्दों पर लगाम लगाने के लिए कार्य कर रहीं हैं। किन्तु यह कार्य तभी सफल हो सकता है जब आम–आदमी इन अवांछित एवं गैर–कानूनी क्रिया–कलापों के सन्दर्भ में सरकार का ईमानदारी एवं कर्तव्यनिष्ठ होकर सहयोग प्रदान करें। प्रस्तुत शोध–पत्र में काले धन की अवधारणा, अध्ययन का महत्तव, भारत में काले धन की उत्पत्ति के स्रोत, आकलन एवं प्रभावों/समस्याओं के साथ–साथ काले धन के नियन्त्रण के प्रयासों पर प्रकाश डाला गया है।

कुंजीभूत शब्द– काला धन, कर–चोरी, समांतर अर्थव्यवस्था एवं भ्रष्टाचार, प्रतिछाया, गैर–कानूनी, ईमानदारी, कर्तव्यनिष्ठ।

प्राचीन काल में भारतीय अर्थव्यवस्था दुनिया की मजबूत अर्थव्यवस्थाओं में से एक थी। उस समय हमारे देश भारत को सोने की चिडिया कहा जाता था, क्योंकि उस समय अधिकांश भारतीय नागरिकों के आर्थिक व्यवहार सम्बन्धी कार्य में ईमानदारी, पारदर्शिता एवं राष्ट्रहित अधिमानित रहती थी। (हुसैन–2016)। किन्तु जैसे–जैसे भारतीय अर्थव्यवस्था प्राचीन युग से आधुनिक युग की ओर बढती गयी वैसे–वैसे लोगों के रहन–सहन के स्तर में भौतिकवादी विचारधारा सम्बन्धी तत्व समाहित होने लगे जिसके चलते धीरे–धीरे सामाजिक एवं नैतिक मूल्यों का पतन होना शुरू हो गया। और जिसके परिणाम स्वरूप देश में काले से सम्बन्धित समस्या बढती गयी। जैसा कि वर्तमान परिप्रेक्ष्य में ऐसा प्रतीत होता है कि काला धन एवं भ्रष्टाचार सम्बन्धी दोहरे मुद्दे ने इतना ज्वलन्त रूप धारण कर लिया है कि ये मुद्दे भारत सहित दुनिया की अर्थव्यवस्थाओं के आर्थिक विचार–विमर्श का विषय बन गया है। क्योंकि बढते हुए काले धन का संचय एक ओर तो अर्थव्यवस्था को खोखला करती जाती है जिसका प्रतिकूल प्रभाव आर्थिक विकास की दर पर पडता है और जिसके चलते अर्थव्यवस्था में बेकारी, गरीबी, एवं धन के केन्द्रीकरण की समस्या बढने लगती है। तो वही दूसरी ओर बढते हुए काले धन की समस्या देश की बाह्य आर्थिक सम्बन्धों पर भी अपना बुरा प्रभाव डालती है, और जिसका प्रतिकूल प्रभाव देश के व्यापार, विनियोग एवं विदेशी मुद्रा भंडार पर पडता है।

विगत वर्षों में काला धन एवं भ्रष्टाचार ने भारतीय अर्थव्यवस्था के सामाजिक एवं नैतिक ढांचे को इस कदर खाया है कि जिसके परिणामस्वरूप सामाजिक एवं आर्थिक उद्देश्यों की पूर्ति आवश्यकता के अनुरूप नहीं हो पायी है (दास–2018)। क्योंकि काला धन एक प्रकार की कर की चोरी है, जिसकी अदायगी सरकार के खजाने में नहीं की गयी है। जिसका प्रभाव यह होता है कि एक ओर तो काला धन सरकार के कर राजस्व पर अपना प्रतिकूल प्रभाव डालता है क्योंकि इसके कारण सरकार के द्वारा कर राजस्व की उतनी उगाही नहीं हो पाती है जितनी होनी चाहिए। जिसके चलते सरकार के कर राजस्व में कमी होने लगती है जिससे सामाजिक एवं आर्थिक कल्याण हेतु लोक व्यय की मात्रा कम पड़ जाती है, जिसके कारण सामाजिक एवं आर्थिक उद्देश्यों की पूर्ति आवश्यकता के अनुरुप नहीं हो पाती है। इसमें कोई सन्देह नहीं है कि केन्द्र सरकार एवं राज्य सरकारें काला धन एवं भ्रष्टाचार से सम्बन्धित अवांछित मुद्दों को नियन्त्रित करने के लिए अपनी–अपनी विभिन्न योजनाओं, एजेंसियों, संस्थाओं एवं करेंसी के विमुद्रीकरण के माध्यम से कार्य कर रही है और यह कार्य और भी अधिक प्रभावी परिणाम दे सकता है, जब देश के नागरिक ईमानदारी और पारदर्शिता के साथ सरकार के इस कार्य में सहयोग प्रदान करें।

अध्ययन का महत्त्व– काला धन एवं भ्रष्टाचार एक प्रकार का आर्थिक एवं सामाजिक अभिशाप है क्योंकि एक ओर तो बढ़ता हुआ काला धन आर्थिक प्रणाली को इस प्रकार से निगलता जाता है कि जिसके परिणामस्वरुप सफेद अर्थव्यवस्था काली अर्थव्यवस्था

अनुरूपी लेखक/संयुक्त लेखक

ISSN NO.-2347-2944 (Print)
e-ISSN NO.-2582-2454 (Online)
Vol.-16, No.- II, Issues-28, YEAR- April-June-2023

में तब्दील हो जाती है। जिसके कारण से अनेक प्रकार की आर्थिक समस्याओं का जन्म होता है। जैसेः कर की चोरी, कर की दर एव कर आधार का जीडीपी के अनुपात में न बढ़ना, कर अनुपालन से सम्बन्धित समस्या, कीमत स्तर का बढ़ना एवं लोगों के बीच आय की विषमता का बढ़ना आदि (वर्मा 2021)। अंततोगत्वा इन सभी आर्थिक समस्याओं का प्रतिकूल प्रभाव आर्थिक विकास दर पर पड़ता है। जिसके कारण से अर्थव्यवस्था में आर्थिक विषमता उत्पन्न होती है। जबकि दूसरी ओर बढ़ता हुआ काला धन समाज के सामाजिक ढ़ांचे पर भी अपना नकारात्मक प्रभाव डालता है। क्योकि बढ़ते हुए काले धन के कारण आर्थिक विषमता उत्पन्न होती है जो कि सामाजिक विषमता का आधार है। एवं बढ़ती हुई सामाजिक विषमता से समाज के सामाजिक मूल्यों का पतन होता है जिसके कारण से समाज में अनेक प्रकार की आपराधिक क्रियाएं जन्म ले लेती हैं और जिसके परिणामस्वरूप समाज में लोगों के बीच सामाजिक असुरक्षा का भय व्याप्त हो जाता है। स्पष्ट है कि आर्थिक एवं सामाजिक विकास के साथ–साथ सामाजिक कल्याण हेतु काले धन पर अंकुश लगाने के सम्बन्ध में उचित एवं कठोर कदम उठाने की आवश्यकता है।

काले धन की अवधारणा– आर्थिक साहित्य या सिद्धान्त में काले धन को परिभाषित करने के सम्बन्ध में कोई एक सर्वमान्य या स्वीकृत परिभाषा नहीं है। इसको परिभाषित करने के लिए कई शब्द प्रयोग में लाए जाते हैं जैसे– काला धन, काली या दूषित आय, अवैध तरीके से अर्जित सम्पत्ति, गुप्त तरीके से रखा गया धन, काली या समानान्तर अर्थव्यवस्था एवं छाया या अनधिकारिक अर्थव्यवस्था इत्यादि। अवैध या गैर–कानूनी तरीके से अर्जित किया गया धन काला धन कहलाता है (चन्द्रः 2017)। 1985 में काले धन को परिभाषित करते हुए राष्ट्रीय सार्वजनिक वित्त एवं नीति संस्थान (NIPFP) ने बताया कि काला धन, काली आय के रूप में वह सकल आय होती है जो कर योग्य तो है लेकिन उसके बारे मे कर अधिकारियों से बताया नहीं गया है। काले धन के अन्तर्गत भ्रष्टाचार एवं गैर–कानूनी तरीके से अर्जित धन को जैसे– गैर–कानूनी दवाइयों का व्यापार, नकली करेंसी की तस्करी एवं अवैध हथियारों के व्यापार आदि को सम्मिलित करेंगे। इसके अन्तर्गत ऐसी वैध वस्तुएं एवं सेवाएं भी सम्मिलित होंगी जिन पर कर की अदायगी सरकार के खजाने में नहीं की गयी है।

काले धन को उत्पन्न करने वाले प्रमुख कारक– केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड, प्रवर्तन निदेशालय, एनआईपीएफपी एवं काले धन के अध्ययन व जांच पर गठित विभिन्न समितियों की रिपोर्ट के अध्ययन के पश्चात् यह ज्ञात होता है कि काले धन को उत्पन्न करने वाले कारकों में प्रमुख कारक निम्नवत् हैं–

– करारोपण एवं कर– अनुपालन का बढ़ता हुआ बोझ और साथ ही कर अदायगी के सम्बन्ध में नैतिकता के अभाव के चलते समानान्तर अर्थव्यवस्था सृजित होती है। जिसके परिणामस्वरूप अर्थव्यवस्था में काले धन का संचय शुरु हो जाता है। विभिन्न अध्ययनों से यह ज्ञात होता है कि बेहतर कानून प्रवर्तन, सन्तुलित विनियमन एवं जीडीपी के अनुपात में अनुकूल कराधान के कारण विकासशील देशों की तुलना में विकसित देशों में समानान्तर या काली अर्थव्यवस्था का स्वरूप छोटा होता है।

– सामान्यतया यह देखा जाता है कि उत्पादक, व्यापारी एवं कारोबारियों के द्वारा कर की अदायगी न करनी पड़े के कारण से वे अपनी प्राप्तियों को छुपा लेते हैं एवं अपने व्ययों को बढ़ा–चढ़ाकर दिखाते हैं और यह कार्य वे फर्जी बिल मास्टरों से करवाते हैं जो जाली बिल बाउचर बनाते हैं। और इस प्रक्रिया से अर्थव्यवस्था के अन्दर काले धन का सृजन शुरू हो जाता है।

– काले धन को विनियोजित करने के लिए प्रयोग में आने वाली सम्पत्तियों में अचल सम्पत्ति सबसे महत्त्वपूर्ण श्रेणी मानी जाती है। क्योंकि अचल सम्पत्तियों की तुलना करना कठिन हो जाता है। इसीलिए इनके मूल्यांकन की प्रक्रिया भिन्न–भिन्न होती है। जिसके कारण से यह कहा जाता है कि काले धन को विनियोजित करने के लिए सबसे आदर्ष सम्पत्ति अचल सम्पत्ति है। व्यवहार में भी यह देखा जाता है कि जिनके पास काला धन अधिक मात्रा में पकड़ा जाता है, उनके पास अचल सम्पत्ति की मात्रा भी अधिक पायी जाती है।

– सिस्टम में व्याप्त भ्रष्टाचार भी काले धन को बढ़ावा देता है। ऐसा देखा जाता है कि जब भी आम–आदमी अपने किसी कार्य से किसी अधिकारी या कर्मचारी के पास जाता है तो उस कार्य के करने के एवज में अधिकारियों या कर्मचारियों के द्वारा रिश्वत या घूस की मांग की जाती है। कभी–कभी तो पदाधिकारियों के द्वारा प्रोजेक्ट व लाईसेंस देने के सम्बन्ध में भी कमीशन की मांग की जाती है। भारत के सम्बन्ध में भ्रष्टाचार की स्थिति चिंतनीय है, भ्रष्टाचार पर ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की रिपोर्ट के अनुसार 2021 में भ्रष्टाचार सूचकांक में 180 देशों में भारत 85वें स्थान पर है।

– काले धन को सृजित करने वाले कारकों में एक प्रमुख कारक हवाला बाजार भी है। जिसके अन्तर्गत अवैध रूप से विदेशी मुद्राओं का लेन–देन किया जाता है।

– जब आयकर दाता अपनी आय को कर अधिकारियों से छिपा लेता है जिससे वह कर की अदायगी करने से बच जाए तो ऐसी क्रिया कर–अपवंचन कहलाती है। और कर–अपवंचन की यह क्रिया काले धन के सृजन का कारण बन जाती है।

– भारतीय अर्थव्यवस्था में डिजिटल करेंसी या डिजिटल लेन–देन के अनुपात की तुलना में अर्थव्यवस्था में नकदी लेन–देन का अनुपात अभी भी बहुत अधिक है। जिस अर्थव्यवस्था में नकदी का चलन बहुत अधिक होता है उस अर्थव्यवस्था में जाली करेंसी के चलन का भय बढ जाता है, और यही जाली करेंसी काली अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देती है।

– कृषि क्षेत्र को करारोपण के दायरे में लाने की असफलता ने भी काले धन की उत्पत्ति को प्रोत्साहित किया है। क्योंकि जिन लोगों के पास काला धन अधिक मात्रा में होता है वे लोग अपने काले धन को कृषि क्षेत्र में विनियोजित करके सफेद धन बना लेते हैं।

काले धन का प्रभाव– काले धन से न केवल देश की आर्थिक स्थिति पर प्रतिकूल प्रभाव पडता है बल्कि इसका नकारात्मक

ISSN NO.-2347-2944 (Print)
e-ISSN NO.-2582-2454 (Online)
Vol.-16, No.- II, Issues-28, YEAR- April-June-2023

प्रभाव समाज के सामाजिक ढांचे पर भी पडता है। क्योंकि काले धन के कारण देश में आर्थिक असमानता उत्पन्न होती है जो कि निःसन्देह सामाजिक असमानता का आधार है। इस तरह की आर्थिक कुप्रथाओं के कारण ही धनी लोग ओर धनी होते जा रहे हैं जबकि दूसरी ओर गरीबों की स्थिति ओर बदतर होती जा रही है। स्पष्ट है कि समानान्तर अर्थव्यवस्था का प्रतिकूल प्रभाव आर्थिक एवं सामाजिक ढांचे पर तो पड़ता ही है साथ ही काले धन के कारण देश की राजनीतिक प्रणाली भी प्रभावित होती है क्योंकि केन्द्र एवं राज्य में प्रभावी व क्रियाशील राजनीतिक पार्टियों के सामने काले धन व भ्रष्टाचार से निपटने की चुनौतियाँ विद्यमान रहती हैं।

काले धन का आर्थिक प्रभाव– काले धन का एक प्रमुख कारण कर चोरी भी है और कर चोरी का प्रतिकूल प्रभाव सरकार के कर राजस्व पर पड़ता है। क्योंकि कर चोरी सरकार के कर राजस्व में कमी लाती है। जिसके कारण लोक व्यय हेतु सरकार को जितने कर राजस्व की आवष्यकता होती है उसकी तुलना में सरकार के पास कर राजस्व की कमी हो जाती है जिसका प्रतिकूल प्रभाव समाजिक एवं आर्थिक कल्याण पर पड़ता है। जबकि दूसरी ओर काला धन अर्थव्यवस्था में अनैतिक क्रियाओं को प्रोत्साहित करता है। क्योंकि बढ़ते हुए काले धन के कारण अवैध व्यापार, तस्करी एवं सट्टेबाजी जैसी अनैतिक प्रवृत्ति लगातार बढ़ती जाती है।

ऐसा माना जाता है कि समानान्तर अर्थव्यवस्था या काले धन के कारण आर्थिक क्रियाओं से सम्बन्धित विश्वसनीय आंकड़े उपलब्ध नहीं हो पाते हैं। क्योंकि काले धन के कारण प्रतिव्यक्ति आय, राष्ट्रीय आय एवं आर्थिक संवृद्धि का सही अनुमान लगाने में कठिनाइयां उत्पन्न होती हैं। काले धन के कारण धन का केन्द्रीकरण होने लगता है, जिससे लोगों के बीच आय की असमानता बढ़ती जाती है।

काले धन का सामाजिक प्रभाव– समानान्तर अर्थव्यवस्था एक ओर तो अपना नकारात्मक प्रभाव आर्थिक प्रणाली पर डालती है,क्योकि इसके कारण धनी एवं निर्धनों के बीच आय की असमानता बढ़ती जाती है। तो दूसरी ओर इसका प्रतिकूल प्रभाव समाज के सामाजिक ढ़ांचे पर भी पड़ता है। क्योंकि बढ़ती हुई आर्थिक असमानता सामाजिक असमानता जैसे– जेण्डर एवं हेल्थ केयर असमानता को जन्म देती है। सामाजिक असमानता में वृद्धि के परिणामस्वरूप समाज के सामान्य नैतिक मानदण्डों में गिरावट होती है जिसके कारण समाज में अपराधिक क्रियाएं जैसे– डकैति, चोरी, लूट–पाट एवं रिष्वतखोरी आदि बढ़ने लगती है। जिसके कारण समाज में लोगों के बीच सामाजिक असुरक्षा का भय व्याप्त हो जाता है।

काले धन का राजनीतिक प्रभाव– राजनीतिक भ्रष्टाचार भी काले धन के सृजन के लिए उत्तरदायी है। क्योंकि कभी–कभी विभिन्न स्रोतों से यह जानकारी प्राप्त होती है कि किसी–किसी राजनीतिज्ञों के द्वारा ठेका उपलब्ध कराने, लाइसेंस उपलब्ध कराने एवं कारोबार तथा व्यवसाय में छूट प्रदान करने के सम्बन्ध में तथा सरकारी सामान खरीद–फरोख्त के सम्बन्ध में भ्रष्टाचार के आरोप लगते हैं, और यही भ्रष्टाचार काले धन के सृजन का कारण बनता है।

काले धन का अनुमान– वास्तविकता तो यह है कि काले धन का सही अनुमान लगा पाना अत्यन्त दुष्कर कार्य है, क्योंकि काला धन छुपा हुआ धन होता है। किन्तु फिर भी भारत सरकार के द्वारा समय–समय पर काले धन के आकलन के सम्बन्ध में विभिन्न समितियों का गठन किया गया। जिन्होनें अपने–अपने अनुमान अपनी रिपोर्ट के माध्यम से प्रस्तुत किये हैं। भारत में काले धन के अनुमान के सम्बन्ध में राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय संस्थाओं एवं एजेंसियों के भी अनुमान मिलते हैं।

नेशनल काउंसिल ऑफ अरकाइड एकोनोमिक रिसर्च (NCAER) ने अपने अध्ययन में पाया है कि 1980 से लेकर 2010 के दौरान भारतीयों के द्वारा 384 बिलियन डालर तक का काला धन विदेशी तिजोरियों में जमा कर रखा है। जबकि वर्ष 2016 में भारत में काले धन के आकलन के सम्बन्ध में विश्व बैंक का अनुमान है कि भारत में काले धन की मात्रा उसके सकल घरेलु उत्पाद के 20 से 30 प्रतिशत के बीच में है। अन्तर्राष्ट्रीय शोध संस्था की रिपोर्ट के अनुसार काले धन के मामले में भारत, चीन एवं रूस के बाद दुनिया में तीसरे पायदान पर है। अन्तर्राष्ट्रीय थिंक टैंक द्वारा वर्ष 2012 में जारी एक रिपोर्ट के अनुसार भारत से वर्ष 2003 से लेकर वर्ष 2012 तक काले धन के रूप में लगभग 28 लाख करोड़ रुपये का बहिर्गमन देश से हुआ है। भारतीय प्रबन्धन संस्थान, बंगलुरु के प्रोफेसर आर. वैद्यनाथन ने अपनी पुस्तक "ब्लैक मनी एण्ड टैक्स हैवेन" में भारत में काले धन के सम्बन्ध में अनुमान लगाते हुए यह बताया है कि भारत में काले की मात्रा लगभग 7,280,000 करोड़ रुपये है।

काले धन को नियन्त्रित करने के सम्बन्ध में सरकार द्वारा उठाए गये कदम–

विधायी कार्यवाही– भारत सरकार द्वारा समय–समय पर काले धन को नियन्त्रित करने के सम्बन्ध में कई कानून बनाये गये हैं। जो एक ओर तो अर्थव्यवस्था में काले धन को नियन्त्रित करते हैं तो दूसरी ओर ऐसे कानून जो आर्थिक लेन–देन से सम्बन्धित सूचना को देने को अनिवार्य बनाते हैं। ऐसे कानूनों में वस्तु एवं सेवा कर अधिनियम (2017), काला धन (अघोषित विदेशी आय और सम्पत्ति) एवं कर आरोपण अधिनियम (2015), बेनामी लेन–देन (निशेध) संशोधन अधिनियम (2016), एवं भगोड़ा आर्थिक अपराधी अधिनियम (2018) के साथ–साथ स्वैच्छिक आय प्रकटीकरण योजना आदि शामिल है।

स्थायी लेखा संख्या की रिपोर्टिंग को अनिवार्य करना– भारत में व्यापार या व्यवसाय करने के लिए चाहे वह व्यक्ति या संस्था भारतीय हो या फिर विदेशी, उसे अपने व्यवसाय पर कर का भुगतान करना अनिवार्य होता है जिसके लिए स्थायी लेखा संख्या की आवश्यकता होती है। जिससे कर चोरी की चोरी न हो सके। आर्थिक लेन–देनों एवं भारी मूल्य की सम्पत्ति के अर्जन पर भी स्थायी लेखा संख्या की रिपोर्टिंग को अनिवार्य कर दिया गया है।

आयकर विभाग की कार्यवाही– आयकर विभाग ने भी ऐसे लोगों की पहचान कर कार्यवाही करना शुरु कर दिया है जो कि एक वित्तीय वर्ष में उच्च मूल्य के आर्थिक लेन–देन तो करते हैं किन्तु उस पर अपना रिटर्न दाखिल नहीं करते हैं।

ISSN NO.-2347-2944 (Print)
e-ISSN NO.-2582-2454 (Online)
Vol.-16, No.- II, Issues-28, YEAR- April-June-2023

नोटों का विमुद्रीकरण– बढते हुए काले धन को नियन्त्रित करने के लिए सरकार के द्वारा करेंसी का विमुद्रीकरण कर दिया जाता है। विमुद्रीकरण के अन्तर्गत सरकार पुरानी एवं बड़ी करेंसियों के स्थान पर अर्थव्यवस्था में नयी करेंसी का निर्गमन कर देती है। जिससे जिन लोगों के पास काला धन जमा होता है वे लोग पुरानी करेंसियों से नयी करेंसी को प्रतिस्थापित करने का साहस नहीं कर पाते हैं। जिसके परिणामस्वरूप काला धन स्वतः ही नष्ट हो जाता है। वर्तमान में मोदी सरकार के द्वारा 8 नवम्बर, 2016 को किया गया नोटों का विमुद्रीकरण का एक प्रमुख उद्देश्य अर्थव्यवस्था में बढते हुए काले धन को नियन्त्रित करना भी था।

कृषि आय पर करारोपण की आवश्यकता– वर्तमान परिप्रेक्ष्य में बढते हुए काले धन एवं भ्रष्टाचार को नियन्त्रित करने के लिए कृषि आय पर भी करारोपण की आवश्यकता है क्योंकि ऐसे भ्रष्ट लोग जिनके पास काला धन जमा हुआ होता है, वे कृषि क्षेत्र में अपने काले धन को विनियोजित करके उसे सफेद धन में तब्दील कर लेते हैं।

निष्कर्ष– प्राचीन युग में हमारे देश को सोने की चिड़िया कहा जाता था, किन्तु जैसे–जैसे समय बीतता गया वैसे–वैसे एक ओर तो लोगों के रहन–सहन के स्तर में भौतिकवादी विचारधारा सम्बन्धि तत्त्व समाहित होने के साथ–साथ समाज के सामाजिक एवं नैतिक मूल्यों का पतन होना शुरु हो गया, जिससे देश में काले धन की समस्या ने जन्म लेना शुरु कर दिया। बढ़ते हुए काले धन के कारण अनेक प्रकार की आर्थिक एवं सामाजिक समस्याओं का जन्म हुआ, जिसका प्रतिकूल प्रभाव लोगों के सामाजिक एवं आर्थिक कल्याण पर पड़ा है।

उपरोक्त समग्र विश्लेषण से स्पष्ट है कि एक ओर तो आर्थिक एवं सामाजिक विकास हेतु तो दूसरी ओर लोगों को आर्थिक, सामाजिक एवं राजनैतिक परिप्रेक्ष्य में समान भागीदारी उपलब्ध कराने के सम्बन्ध में काला धन तथा भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने की आवश्यकता है। इसमें कोई सन्देह नहीं है कि केन्द्र सरकार एवं राज्य सरकारों ने अपनी–अपनी विभिन्न एजेंसियों, संस्थाओं एवं योजनाओं तथा प्रत्यक्ष रूप से लिए गये निर्णय के द्वारा कहीं हद तक काले धन और भ्रष्टाचार पर लगाम लगाया है, किन्तु इसके सम्बन्ध में अभी और अधिक उचित एवं कठोर कदम उठाये जाने की आवश्यकता है, जिससे आर्थिक एवं सामाजिक विकास के साथ–साथ आर्थिक एवं सामाजिक कल्याण भी अधिकतम हो सके।

संदर्भ ग्रन्थ सूची

1. Singh Ramesh:2022, Indian Economy, Magraw Hill Publication.
2. Kumar, Arun(2022), The Black Economy In India, Penguin Books.
3. Verma 5.(2021), The Indian Economy, Unique Publishers India Private Limited.
4. Das K.P.(2018) An Insight Into Black Money And Tax Evasion-Indian Context, JIBRM, Volume 3.
5. Chandra.v.(2017), Black Money And White Money, IJBMR, Volume 2.
6. वैद्यनाथन आर0 (2017): ब्लैक मनी एण्ड टैक्स हैवेनः वेस्टलैण्ड पब्लिशर।
7. Husain N.(2016), Black Money In India: Impact On Indian Economy, IIARTC, Volume 5 PP.72-78.
8. Kumar R.K. (2014) Black Money In India-A Conceptual Analysis, Journal Of Research,3 (1).
9. White Paper Of Black Money, Published By Ministary Of Finance, New Delhi -2012.
10. Wanchoo Committee Report On Black Money:1972.

*****